सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1962]

राम चन्द्र प्रसाद

बनाम

बिहार राज्य

1961 (के. सुब्बा राव और रघुबर दयाल, जेजे।

अप्रैल 18. आपराधिक विचारण–भ्रष्टाचार–विशेष न्यायाधीश

–दोष, यदि ठीक किया जा सकता है–अपराध के रूप में धारणा–चाहे

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947

(1947 का द्वितीय), धारा 4 और 5 (2)–दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952

(1952 का XLVI), धारा 7, 8 और 10–दंड प्रक्रिया संहिता,

1898 (1898 का 5), धारा 526 और 531–भारत का संविधान, अनु०, 216 और 145 (3)।

अपीलार्थी ने एक ठेकेदार से 10,000/– रू० की धनराशि स्वीकृत की। उसे धनबाद में एक मजिस्ट्रेट के सामने तलब किया गया। लेकिन अपीलार्थी द्वारा योजित एक आवेदन पर उच्च न्यायालय ने मामला मुन्सिफ–मजिस्ट्रेट, पटना को अंतरित कर दिया। इसके बाद, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 लागू हुआ। जिसके तहत प्रत्येक अपराध अंतर्गत धारा 161 भारतीय दंड संहिता और धारा 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम केवल एक विशेष न्यायालय द्वारा, जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया, विचारणीय बनाया गया। अपीलार्थी का वाद विशेष न्यायाधीश पटना के पास भेज दिया गया था, जिसने उसे धारा 161 और धारा 5 (2) दोनों में दोषसिद्ध किया।

अपीलार्थी ने तर्क दियाः (1) कि पटना विशेष न्यायाधीश के पास अपीलार्थी का विचारण करने कोई क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि अपराध विशेष न्यायाधीश धनबाद के क्षेत्र के भीतर किया गया था और (2) कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 4 में निहित धारणा से सम्बन्धित प्रावधान संविधान के अनु० 21 को ठेस पहुँचाते है।

अभिनिर्धारित किया कि दोषसिद्धि के आदेश को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि पटना विशेष न्यायाधीश के पास विचारण का कोई क्षेत्रीय अधिकार नहीं था क्योंकि न्याय की कोई विफलता नहीं हुई थी। मौका मिला। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 531 विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण पर लागू होती है। धारा 526 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी वाद एक विशेष न्यायालय से अन्य न्यायालय में अंतरित करने की शक्ति प्राप्त है और मामले को पटना के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में

अंतरित करने के औपचारिक आदेश के लोप से अपीलार्थी को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। आगे यह अभिनिर्धारित किया कि भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 4 के द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया, जिसे संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। यह प्रश्न कि धारा 4 ने संविधान के अनु० 21 को आहत किया है, अनु० 145 (3) के अर्थ के भीतर संविधान की व्याख्या के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था और इसे 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेजना आवश्यक नहीं था।

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: दाण्डिक अपील संख्या 168 सन 1959

दाण्डिक अपील संख्या 580 सन 1953 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक सितम्बर 10 , 1958 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थी की ओर से बी. बी. तवाकले और आर. सी. प्रसाद।

प्रतिवादी के लिए ए. के. दत्त और एस. पी. वर्मा।

1961 अप्रैल 18 न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रघुबर दयाल, जे.–द्वारा सुनाया गया।

यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरूद्ध योजित की गई है जिसके द्वारा उसे धारा 161, भारतीय दंड संहिता व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है, में दोषसिद्ध किया गया है।

अपीलार्थी सिधरी में निर्माण इंजीनियर था। आर.बी. बसू कलकत्ता में निवास करने वाला एक ठेकेदार था एवं हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग एवं निर्माण कं० के नाम से व्यवसाय चला रहा था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया, और निचली अदालतों ने पाया है कि 18 जुलाई, 1951 को धनबाद रेलवे स्टेशन पर केलनर रेस्तरां में अपीलार्थी ने बसु से अवैध रिश्वत के रूप में 10,000/–रू० प्राप्त किये थे। अदालतों ने अपीलार्थी के बचाव को अस्वीकार कर दिया कि उसने इस राशि वाले लिफाफे को यह जानते हुए नहीं लिया था कि इसमें यह राशि है, बल्कि यह जानते हुए लिया था कि इसमें बसु के अनुबंध से संबंधित कागजात हैं।

अपीलार्थी की ओर से उठाई गई दलीलें ये हैं:

(i) कि अधिनियम की धारा 4 में निहित धारणा से सम्बन्धित प्रावधान असंवैधानिक है।

(ii) कि मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश द्वारा की गई थी, जिनके पास इसकी सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था;

(iii) कि अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग करने और राशि को अवैध परितुष्टि के रूप में स्वीकार करने के बारे में बसु के बयान की कोई उचित पुष्टि नहीं थी।

अधिनियम की धारा 4 की संवैधानिकता पर इस आधार पर प्रश्न उठाने की मॉग की गई थी कि यह संविधान के अनु० 21 के प्रावधानों के विरूद्ध है, जिसके अनुसार विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा।

हम इस प्रश्न को संविधान के अनु० 145(3) के उद्देश्य हेतु महत्वपूर्ण नहीं मानते है।

जो यह निर्धारित करता है कि संविधान की व्याख्या के रूप में किसी भी मामले का जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्वलित है, यह मानते हुए कि अनु० 21 में कानून शब्द राज्य द्वारा बनाये गये कानून को संदर्भित करता है, न कि सकारात्मक कानून को, निर्णय करने के उद्देश्य से बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। ऐ.के. गोपालन व मद्रास राज्य 1950 SCR 88. में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'विधि' शब्द का उपयोग राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अर्थ में किया गया है, न कि अमूर्त या सामान्य अर्थ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने वाली विधि के समतुल्य के रूप में, और 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ है राज्य द्वारा बनाई गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात केंद्रीय संसद या राज्यों के विधान मंडलों द्वारा। धारा 4 संसद द्वारा अधिनियमित की गई है और इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि यह जो निर्धारित करती है वह कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है। अपीलार्थी पर पटना के विशेष न्यायाधीश ने मुकदमा चलाया। यह अपराध मनभूम जिले के धनबाद में किया गया था। मामला धनबाद के मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया था।

अभियुक्त के आवेदन पर उच्च न्यायालय ने इसे पटना में मुन्सिफ –मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरण के इस आदेश के बाद, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम XLVI) 28 जुलाई, 1952 को लागू हुआ। इसके बाद मामले को धारा 10 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पटना के विशेष न्यायाधीश के पास भेज दिया गया। अपीलार्थी के लिए तर्क यह है कि मनभूम के विशेष न्यायाधीश अकेले इस मामले की सुनवाई कर सकते थे। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 में कहा गया हैः (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 या किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होते हुए भी धारा 6 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई केवल विशेष न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी।

(2) धारा 6 की उप–धारा (1) में में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अपराध का विचारण विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध किया गया था, या जहाँ ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं, उनमें से किसी एक द्वारा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निमित निर्दिष्ट किया गया है, किया जायेगा।

(3) किसी मामले की सुनवाई करते समय, एक विशेष न्यायाधीश धारा 6 में निर्दिष्ट अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध का जिसका अभियुक्त पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अंतर्गत आरोप लगाया जाए , विचारण कर सकेगा।

धारा 161, भारतीय दंड संहिता और अधिनियम की धारा 5 (2) अपराध को विशेष न्यायाधीश के द्वारा विचारणीय बनाती है। अपीलार्थी का विचारण अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त विशेष न्यायाधीश के द्वारा किया गया है। उसकी शिकायत उस न्यायालय की योग्यता के सम्बन्ध में नहीं है जिसने उसका विचारण किया बल्कि उस विचारण न्यायालय के सम्बन्ध में है जिसके पास विचारण करने की कोई क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है क्योंकि धारा 7 की उप–धारा (2) में प्रावधान है कि ऐसे अपराधों का विचारण क्षेत्रीय अधिकारिता वाले विशेष न्यायाधीश द्वारा किये जायेगे जहाँ वे अपराध कारित किये गये।

अपराध विशेष न्यायाधीश मनभूम के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर किया गया और इसलिए उसके द्वारा अकेले विचारण किया जा सकता था इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पटना के विशेष न्यायाधीश के पास इस मुकदमें को चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (3) में कहा गया हैः

"उप–धारा (1) या उप–धारा (2) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर दंड प्रक्रिया संहिता 1898, के प्रावधान, जहाँ तक वे इस अधिनियम के साथ असंगत नहीं हैं। एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे और उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय के न्यायालय को जूरी के बिना या मूल्यांकन कर्ताओं की सहायता के बिना मामलों को सुनवाई करने वाला सत्र न्यायालय माना जायेगा और विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन चलाने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जायेगा।

यह इस प्रकार है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय से किसी भी मामले को किसी अन्य सक्षम न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार देती है।

(1) [1950] एस. सी. आर. 88.

यदि आपराधिक संशोधन अधिनियम के लागू होने पर यह मामला विशेष न्यायाधीश की अदालत में स्थानान्तरित कर दिया गया होता, तो उच्च न्यायालय के लिए उस न्यायालय से मामले को विशेष न्यायाधीश पटना की अदालत से स्थानान्तरित करना खुला होता।

अपीलार्थी के अनुरोध पर मामला धनबाद से पटना स्थानान्तरित किया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि चल रहे पटना में मुकदमें ने किसी भी तरह से अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस मामले को मनभूम के विशेष न्यायाधीश को औपचारिक रूप से अग्रेषित करने और उच्च न्यायालय द्वारा इसे पटना के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानान्तरित करने के औपचारिक आदेश के बारे में केवल यह कहना, हमारी राय में, अपीलार्थी पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

हमारी राय में, इस मामले को मनभूम के विशेष न्यायाधीश को औपचारिक रूप से अग्रेषित करना और इसे पटना के विशेष न्यायाधीश की अदालत में स्थानान्तरित करने के उच्च न्यायालय के औपचारिक आदेश की चूक से आवेदक पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

जब 23 अक्टूबर, 1952 को विशेष न्यायाधीश, पटना के द्वारा मामले की सुनवाई की गयी तो अभियुक्त के साथ–साथ सरकारी वकील ने भी नये सिरे से सुनवाई की इच्छा जताई।

उस समय मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की आपत्ति विशेष न्यायाधीश के समक्ष बहस के समय उठाई गई थी और उनके द्वारा खारिज कर दी गई थी। इस तरह की आपत्ति उच्च न्यायालय के समक्ष तब नहीं उठाई गई थी जब अपीलार्थी की अपील पर पहली बार 1955 में सुनवाई हुई थी या इस न्यायालय में जब बिहार राज्य ने उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील की थी। यह सब इंगित करता है कि अपीलार्थी पटना में विचारण से प्रतिकूल प्रभाव महसूस नहीं करता था।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 531 को दृष्टिगत रखते हुए विशेष न्यायाधीश, पटना के आदेश को इस आधार पर अपास्त नहीं किया जाना चाहिए कि उनके पास इस मामले की सुनवाई करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, जबकि वास्तव में न्याय की कोई विफलता नहीं हुई है। अपीलार्थी की ओर से तर्क लिया गया है कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा 1 और 10 को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 531 इस मामले में लागू नहीं होती है। हम इससे सहमत नहीं है। पूर्ववर्ती उपबंध साधारण रूप से यह अभिनिर्धारित करते है कि ऐसे अपराध विशेष न्यायलय के द्वारा विचारणीय होगे और इस प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। धारा 10 साधारण रूप से प्रावधान करती है कि धारा 7 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश के द्वारा विचारणीय वाद और अधिनियम के लागू होने के तत्काल पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित वाद सक्षम अधिकारिता वाले विशेष न्यायाधीश को विचारण के लिए अग्रेषित किये जायेंगे। इस धारा में ऐसा कुछ नहीं है जो यह दिखाती हो कि दंड प्रक्रिया की धारा 531 प्रयुक्त नहीं की गयी।

इसलिए हमारी राय है कि अपीलार्थी को दोषी ठहराने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि उसके पास इस मामले की सुनवाई के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं थी।

विचार के लिए अंतिम तर्क यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा 10,000/– रूपये की रिश्वत मॉगने और उसने 18 जुलाई, 1951 को केलनर जलपान कक्ष, धनबाद रेलवे स्टेशन पर प्राप्त करने के बारे में बयान की उचित पुष्टि होती है।

हम इस सम्बन्ध में बसु द्वारा अभिकथित मुख्य तथ्यों को संक्षेप में इंगित कर सकते हैं। अपीलार्थी दिसंबर 1950 में बसु के घर जाने के लिए कलकत्ता गया था और उससे 10,000/– रुपये की रिश्वत देने के लिए कहा था। किसी अन्य साक्षी की साक्ष्य से इस कथन की कोई प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं होती है। बसु

के एक कर्मचारी कांजीलाल ने अपने स्वामी के निर्देश पर मई, 1951 में अपीलार्थी से मुलाकात की थी, उससे पूछा कि क्या वह उस धनराशि को स्वीकार करेंगे, जिसकी उन्होंने दिसम्बर में मांग की थी और जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया था और उन्हें जवाब मिला कि राशि स्वीकार्य होगी। उन्होंने यह जानकारी बसु को दी। एक महीने से अधिक समय तक कुछ भी नहीं किया गया और फिर भी, भुगतान नहीं किया गया, बल्कि अधिकारियों को सूचित किया।

जून 1951 में, बसु ने श्री के. एन. मुखर्जी, पी. डब्ल्यू. 3, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को आरोपी की रिश्वत की मांग के बारे में बताया और उसके अनुरोध पर पत्र प्रदर्श 11/1, दिनांकित 18 जून, उन्हें दिया। उन्होंने इस पत्र में दिसंबर 1950 में की गई मांग के बारे में का उल्लेख किया, लेकिन मई के महीने में राशि स्वीकार करने के लिए अपीलार्थी की इच्छा की अभिव्यक्ति का कोई संदर्भ नहीं दिया।

श्री मुखर्जी ने जाल बिछाने के लिए कदम उठाए और श्री एस. पी. मुखर्जी, पी. डब्ल्यू. 1 को प्रतिनियुक्त किया ।

कांजीलाल ने 14 जुलाई को अपीलार्थी से मुलाकात की और उसके साथ यह व्यवस्था की कि वह धनबाद रेलवे स्टेशन जाएगा। जब बसु भी वहाँ पहुँचेंगा और वहाँ पैसे का भुगतान किया जाएगा और उस बैठक की तिथि के बारे में बाद में सूचित किया जायेगा। बसु को कलकत्ता में इस व्यवस्था के बारे में बताया गया था। उन्होंने अपनी ओर से अधिकारियों को सूचित किया। इस उद्देश्य के लिए 18 जुलाई तय की गई थी। कांजीलाल ने 16 जुलाई को टेलीफोन पर अपीलार्थी को सूचित किया कि बैठक 18 तारीख को होगी और बसु लगभग शाम 5 बजे तूफान एक्सप्रेस से धनबाद पहुँचेंगा। जाल बिछाने की व्यवस्था पूरी हो गयी और जाल बिछाने वाल दल 18 जुलाई को तूफान एक्सप्रेस से धनबाद पहुंचा। कांजीलाल स्वयं 18 जुलाई की सुबह सिंदरी गया और अपीलार्थी को व्यवस्था की पुष्टि की। अपीलार्थी धनबाद रेलवे स्टेशन पर शाम करीब 5 बजे पहुँचा। जाल बिछाने वाले दले के सदस्य केलनर रेस्टोरेण्ट के जलपान कक्ष के कोनों में अलग–अलग मेजों पर बैठ गए। बसु, अपीलार्थी के साथ वहॉ पहुँचा और एक अन्य मेज पर बैठ गया। जलपान ग्रहण किया गया। इसके बाद, बसु ने अपीलार्थी के साथ अनुबंध के मामलों पर बात की, उसके निकट गया और बस्ते से फाइल निकाली और फिर, कुछ बातचीत के बाद 10,000/– रुपये के मूल्य के नोटों वाले लिफाफे को निकाला। यह लिफाफा अपीलार्थी को दिया गया था। बसु ने कथन किया कि उसने उस समय एक बयान दिया था कि वह अब तक अपीलार्थी को 10,000/– रुपये का भुगतान नहीं कर सका। अपीलार्थी ने लिफाफा लिया और उसे अपनी पतलून की जेब में डाल लिया। जाल बिछाने वाले दल ने, रिश्वत के पैसे दिए जाने का संकेत मिलने के बाद अपीलार्थी को घेर लिया और उससे लिफाफा ले लिया। इसमें वही मुद्रा नोट पाए गए जिनके नंबर पहले से मजिस्ट्रेट महादेवन द्वारा नोट किए गए थे।

या तो मई में या टेलीफोन पर या 18 जुलाई की सुबह अपीलार्थी को दिए गए संदेश के बारे में कांजीलाल के बयान की कोई मौखिक पुष्टि नहीं है। निचली अदालतों ने बसु के बयानों की पुष्टि इन

परिस्थितियों से की है कि दिसंबर 1950 में धन की मांग का उल्लेख जून, 1951 में श्री के. एन. मुखर्जी के सामने किया गया था, कि जाल तब बिछाया गया होगा, जब बसु के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अपीलार्थी नियत समय पर धनबाद में उपस्थित होगा और अपीलकर्ता की धनबाद रेलवे स्टेशन पर उपस्थिति आकस्मिक नहीं हो सकती है, बल्कि पिछली व्यवस्था का परिणाम रही होगी। इस तर्क में कोई दुर्बलता नहीं पाई जा सकती। अपीलार्थी ने उस दिन रेलवे स्टेशन पर अपनी उपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण दिया। इसे निम्न न्यायालयों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। वास्तव में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा रिमांड पर अपील की दूसरी सुनवाई में इस पर विचार करने के लिए दबाव नहीं डाला। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जाल बिछाने की व्यवस्था तब की गई होगी जब एक व्यावहारिक निश्चितता थी कि अपीलार्थी धनबाद रेलवे स्टेशन आयेगा। यह उम्मीद नहीं की जाती बसु जून के महीने का झूठा उल्लेख करेगा कि अपीलकर्ता ने 10,000/– रुपये की माँग दिसम्बर 1950 में की थी। आम तौर पर किसी से इतनी लंबी अवधि के बाद ऐसी मांग की शिकायत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि समय का अंतराल संभवतः इस आशा के कारण किया गया था कि मामला सुलझ जायेगा या बसु के लंबित बिलों को पारित करने के लिए रिश्वत के रूप में कम राशि स्वीकार्य हो सकती है। अपीलार्थी को लिफाफा देते समय बसु के बयान की पुष्टि करने के लिए जाल बिछाने वाले दल के गवाहों की चूक, अपीलकर्ता को 10,000/– रुपये वाले लिफाफा के बारे में सूचित करना वास्तव में आश्चर्य की बात है जब पार्टी में चार व्यक्ति शामिल थे तो अपीलाकर्ता द्वारा रिश्वत स्वीकार करने के गवाह बनने के उद्देश्य से वहाँ गये थे और इसलिए उनसे अपीलकर्ता और बसु के बीच क्या हुआ, यह सुनने के लिए सतर्क रहने की उम्मीद की जा सकती थी। यहाँ सवाल यह है कि अपीलकर्ता को लिफाफे में क्या होने की उम्मीद थी? बसु के लिए अनुबंध व्यवसाय से संबंधित कोई भी बिल या कागजात व्यक्तिगत रूप से वितरित करने का यह कोई अवसर नहीं था। ऐसे कागजात अपीलकर्ता के कार्यालय में व्यवसाय के नियमित अनुक्रम के दौरान भेजे जा सकते थे। ऐसा लगता है कि अपीलाकर्ता ने बसु से यह सवाल नहीं किया कि लिफाफे में क्या था, जैसा कि वह करता, अगर उसे निश्चित रूप से पता नहीं होता कि इसमें क्या है। अपीलार्थी का यह कथन कि उसने समझा कि लिफाफे में बिल आदि सुसंगत नहीं है जैसे कि उसने लिफाफा अपनी पतलून की जेब में डाला। उम्मीद है कि लिफाफा मोटा होगा, क्योंकि इसमें सौ–सौ के 100 करेंसी नोट थे। व्यावसायिक कागजात वाला एक लिफाफा पतलून की जेब में रखने की उम्मीद नहीं की जाती है। आमतौर पर कोई इसे हाथ में ले जाता है, या कोट या बुशर्ट की जेब में से किसी एक में रखता है। जब यह माना जाता है कि अपीलकर्ता व्यवस्था करके धनबाद रेलवे स्टेशन गया होगा, तो यह एक विवादास्पद मुद्दा बन जाता है कि व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। निश्चित रूप से, यह केवल कुछ बिलों और कागजातों की देनगी नहीं हो सकती। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, इसे डाक द्वारा या कांजीलाल या किसी अन्य संदेशवाहक के माध्यम से सिंदरी भेजा जा सकता था। धनबाद रेलवे स्टेशन मुलाकात का उद्देश्य कुछ और रहा होगा। अपीलकर्ता ऐसे किसी भी उद्देश्य का उल्लेख करने में विफल रहा है, जिसे सही माना जा सके। यह सच है कि धारा 342 दण्ड प्रक्रिया संहिता की जाँच के समय अपीलाकर्ता से विशेष रूप से जब कांजीलाल

की मई और जुलाई में उससे मुलाकात हुई और उसकी टेलीफोन कॉल और व्यवस्था और लिफाफा उसे दिये जाने के समय बसु के बयान के बारे में कोई पूछतांछ नहीं की गयी। लेकिन हमारी राय है कि इस चूक से न्याय में विफलता नहीं हुई। अपीलार्थी को पूरी तरह से पता था कि गवाहों ने क्या गवाही दी थी और उसके खिलाफ क्या मामला था। उसने आरोप की सत्यता से इनकार किया कि उसने 10,000/– रुपये रिश्वत प्राप्त की थी।

इसलिए हमारी राय है कि अपीलाकर्ता को पता था, जब उसने बसु से लिफाफा लिया था कि वह 10,000/– रुपये रिश्वत में प्राप्त कर रहा है, जिसकी उसने माँग की थी और इसलिए अपीलाकर्ता की दोषसिद्धि सही है। इसलिए अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई।

Vetted by:

Sunil Kumar Singh III,

Additional District Judge FTC-II,

District Auraiya.